लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS.

अपील संख्या – 10/2025
जी.सी.एम.एस. सं. 2025/43

प्रार्थी/अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–
श्री मो. साहेब खां, निवासी 33 ए, इन्दिरा कोलोनी, बांसवाडा मो.नं. 9785122855	बनाम	तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 05–05–2025

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी की ओर से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक **05–03–2025** (पोस्टल ऑर्डर नं. 63एफ 877546) पर **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)** द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराने के कारण अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक **17–04–2025** को जारी किया गया एवं प्रत्यर्थी को अपना पक्ष रखने नियत तिथी दिनांक **02–05–2025** को उपस्थित होने सूचित किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.07.24 12:02:51 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा (राज.)

दिनांक **02–05–2025** को अपीलार्थी ने उपस्थित होकर लिखित बहस पेश की। लिखित बहस में मुख्य रुप से यह उल्लेख किया गया है कि मुझ प्रार्थी को लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढी द्वारा सूचना नही दी गई। मुझे प्रथम अपील प्रस्तुत करने के बाद एक पत्र जरिये व्हॉट्सएप प्राप्त हुआ। जिसमें मुझे लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना शुल्क जमा कराने हेतु कहा गया। सूचना प्राप्त करने की निश्चित अवधि पूर्ण होने के पश्चात् मुझे शुल्क जमा कराने कहा गया। श्रीमान् से निवेदन है कि बिन्दुवार सूचना लोक हित में दिये जाने आज्ञा फरमावे।

प्रत्यर्थी **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)** ने दिनांक 05.05.2025 को जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 05.03.2025 जो कि कार्यालय में दिनांक 10.03.2025 को प्राप्त हुआ। कार्यालय के पत्र क्रमांक भू.अ / 2025/ 52 दिनांक 07.04.2025 से सूचना प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क राशि रुपया 294/– जमा करने हेतु जारी किया गया था, जिसकी प्रति संलग्न है। अपीलार्थी द्वारा उक्त राशि कार्यालय में जमा नही करायी गई है। अतः निवेदन है कि प्रथम अपील निरस्त कराने का श्रम फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)** के जवाब एव उनकी ओर से अपीलार्थी को नियमानुसार निर्धारित शूल्क राशि जमा कराने हेतु सूचित करने पत्र, अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन एवं उस पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)** से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.07.24 12:02:51 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा (राज.)

आवेदन दिनांक **05–03–2025** से 1 बिन्दुं पर सूचना चाही गई है। **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) तहसील गढी बांसवाडा (राज.)** द्वारा कार्यालय के पत्र क्रमांक भू.अ/ 2025/ 52 दिनांक 07.04.2025 से अपीलार्थी को यह अवगत कराया कि वांछित सूचना जो 147 पृष्ठ जिसका निर्धारित शूल्क राशि 294/– नियमानुसार जमा कर सूचना प्राप्त कर सकते है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढी अनुसार अपीलार्थी की ओर से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक **05–03–2025** (पोस्टल ऑर्डर नं. 63एफ 877546) कार्यालय में दिनांक 10.03.2025 को प्राप्त हुआ है, जिसके समर्थन में डाक ट्रेक कन्साईन्मेंट की फोटोप्रति जवाब के साथ पेश की है।

तहसीलदार गढी द्वारा धारा 7(3)(क) सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नियमानुसार सूचना शूल्क राशि जमा कर सूचना प्राप्त करने अपीलार्थी को 30 दिवस के भीतर अवगत कराया है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05–05–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव) I.A.S.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉसवाडा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.07.24 12:02:51 IST
Reason: SelfAttested